कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/वी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार कौशिक, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरीपुरा, चाकसू जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहकमपुरा, कुशलगढ जिला बांसवाडा किया गया था जिसके विरूद्ध श्री कौशिक द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3739/2019 महेन्द्र कुमार कौशिक बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3739/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री महेन्द्र कुमार कौशिक की अपील को प्रत्यर्थी विभाग को प्रतिप्रेषित (REMAND) कर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष रिक्त पद दर्शाते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक नवीन आदेश प्रसारित कर सकारण आख्यात्मक आदेश से निस्तारित करने एवं अपीलार्थी के सम्बन्ध में नवीन आदेश जारी होने तक माननीय अधिकरण द्वारा उनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण पर बल नहीं देने के निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पत्नी के जयपुर जिले में पदस्थापित होने, अपने नवीन पदस्थापन स्थान के अत्यधिक दूर होने को मद्देनजर रखते हुए अपना समायोजन/पदस्थापन अजमेर अथवा झुन्झुनूं जिले में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त आवेदनों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। **अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता जिससे उनके अभ्यावेदन पर विचार किया जा सके। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य एवं छात्र हित में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है।**

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 1993 एस0सी02486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करें।** उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री महेन्द्र कुमार कौशिक द्वारा की गई मांग उचित एवं नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

चूंकि माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक ही अपीलार्थी की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण पर बल नहीं देने हेतु निर्देशित किया गया था एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन को उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है अतः अपीलार्थी श्री महेन्द्र कुमार कौशिक, प्रधानाचार्य को कार्यमुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वे विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहकमपुरा, कुशलगढ जिला बांसवाडा में दिनांक 24.12.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं

अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/महेन्द्र कौशिक/अपील/3739/2019 दिनांक 20/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग, जयपुर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/बांसवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/बांसवाड़ा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी श्री महेन्द्र कुमार कौशिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)